4

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या .... चूंकि बिहार राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है, कि राज्य में बी0 पी0 एल0 परिवार के सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में अनुदान पंचायत राज संस्थाओं की सहभागिता से कार्यान्वित किया जाय तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कबीर अन्त्येष्ठी अनुदान योजना, 2007 को अधिनियमित करना आवश्यक है ;

इसलिए अब भारत संविधान के अनुच्छेद 39 (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा कबीर अन्त्येष्ठी अनुदान योजना , 2007 निम्नलिखित रूप में बनाती है :–

नाम :– **कबीर अन्त्येष्ठी अनुदान योजना, 2007**

उद्देश्य :– राज्य के बी0 पी0 एल0 परिवारों के सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में दाह संस्कार हेतु कबीर अन्त्येष्ठी अनुदान योजना वर्ष 2007–08 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कबीर अन्त्येष्ठी योजना का प्रारूपण किया है जिसके अन्तर्गत बी0 पी0 एल0 परिवार के सदस्यों की मृत्यु की स्थिति में रू0 1,500/– (एक हजार पाँच सौ) अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

...त्रता

(1) (क) यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले सभी परिवारों पर, उस परिवार के किसी ...ी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में लागू होगी। अनुदान के लिए मृतक के उम्र सीमा कोई बंधन नहीं होगा।

(ख) प्रत्येक मामले में अनुदान के लिए पात्र वैसे आश्रित ही होंगे जो बिहार राज्य के वासी हो या ...वेदन की तिथि से कम से कम 10 वर्ष पूर्व से इस राज्य में रह रहे हो।

(क) अनुदान के लिए आवेदन पत्र विहित प्रपत्र–1 में दो प्रतियों में उस ग्राम पंचायत कार्यालय को ...या जायेगा, जिसमें आवेदक साधारणतः निवास करता है। आवेदन देने के लिए कोई फीस नहीं ली ...येगी। प्रपत्र की अनुपलब्धता की दशा में सादा कागज पर आवेदन पत्र सभी आवश्यक विवरण के साथ ...या जा सकेगा। नगर निकाय क्षेत्र में आवेदन पत्र वार्ड कार्यालय/वार्ड कमिश्नर को दिया जायेगा।

(ख) आवेदन पत्र ग्राम पंचायतों, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर निगम, नगरपालिका या नगर परिषद, अनुमंडल–कार्यालयों, तथा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा मुफ्त उपलब्ध करवाया जायेगा

3. स्वीकृति :– अनुदान के लिए आवेदकों की सूची संबंधित पंचायत कार्यालयों/नगर निकाय कार्याल... में प्रपत्र–2 में संधारित की जायेगी।

4. अस्वीकृत आवेदन पत्र के संबंध में सूचना की अस्वीकृति के कारणों को अमिट करते हुए आवेदकों को दी जायेगी।

5. (क) आवेदन पत्र तत्कालिक रूप से संबंधित पंचायत के मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) बिना आवेदन पत्र के मात्र सूचना के आधार पर पंचायत के मुखिया/वार्ड कमिश्नर/पंचायत सेवक/कर्मचारी मृत्यु की स्थिति में मृतक को अनुदान स्वीकृति की कार्रवाई स्वयं भी कर सकते हैं ।

6. (क) जिला स्तर पर एक कबीर अन्त्येष्ठी निधि का गठन किया जायेगा। इस निधि से अनुदान की राशि पंचायतों की संख्या/वार्डो की संख्या तथा निर्धारित लक्ष्य के आधार पर अग्रिम के रूप में जिला स्तर से पंचायतो/वार्डो को दी जायेगी।

(ख) प्रत्येक पंचायत के लिए न्यूनतम 5 (पाँच) अन्त्येठी अनुदान हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक वार्ड के लिए न्यूनतम 2 (दो) अन्त्येष्ठी अनुदान हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) पंचायत स्तर पर अग्रिम की राशि संयुक्त खाता खोलकर मुखिया एवं पंचायत सेवक द्वारा निकटतम डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में रखा जायेगा। वार्ड स्तर पर राशि वार्ड कमिश्नर एवं कर्मचारी द्वारा संयुक्त खाता खोलकर निकट के डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में रखा जायेगा।

(घ) एक अनुदान हेतु नगद राशि रू0 1,500/– (एक हजार पाँच सौ) मुखिया/पंचायत सेवक/वार्ड कमिश्नर/कर्मचारी द्वारा निकासी कर रखा जायेगा ताकि तत्काल पिड़ित परिवार को लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

(ङ) उपर्युक्त राशि के व्यय के पश्चात् पुनः संयुक्त खाते से रू0 रू0 1,500/– (एक हजार पाँच सौ) निकासी कर नगद रूप में रखा जायेगा।

(च) अनुदान राशि का भुगतान निर्धारित बजट शीर्ष के अधीन "सहायक अनुदान मद" से किया जायेगा।

9. भुगतान का ढ़ंग :– (क) पंचायत के मुखिया/पंचायत सेवक/वार्ड कमिश्नर/कर्मचारी द्वारा नगद भुगतान मृतक के आश्रित को तत्काल किया जायेगा।

(ख) भुगतान की प्रक्रिया में परिवर्तन का अधिकार इस योजना के प्रशासी विभाग समाज कल्याण विभाग, बिहार को होगा।

10. यदि किसी पंचायत के मुखिया/पंचायत सेवक/वार्ड कमिश्नर/कर्मचारी द्वारा अनुदान की राशि उपलब्ध होने के बावजूद मृत्यु के तत्काल बाद राशि मृतक के आश्रित को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसके लिए संबंधित पंचायत सेवक/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कर्त्तव्यपालन में उदासीनता (deriliction of duty) की कार्रवाई की जायेगी।

11. यदि आवेदक द्वारा दी गयी झुठी जानकारी के आधार पर अनुदान मंजूर हो गया हो तो अनुदान के रूप में भुगतान की गई पूरी राशि, राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी।

12. <u>अन्यान्य</u> :– (क) निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार इस योजना के पूर्णरूपेण प्रभारी होंगे, वे कबीर अन्त्येष्ठी अनुदान योजना के बजट नियंत्रण पदाधिकारी होंगे तथा जिलाधिकारियों/सक्षम पदाधिकारियों को निधि का आवंटन करेंगे।

(ख) निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार कबीर अन्त्येष्ठी अनुदान नियमावली की लेखा प्रक्रिया के समुचित क्रियान्वयन के लिए जिला पदाधिकारी/जिले के अन्य पदाधिकारियों को अनुदेश जारी करेंगे।

(ग) निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी जिलों में इस योजना के काम–काज का आवश्यकतानुसार निरीक्षण/समीक्षा करेंगे।

(घ) (i) जिलों में इस योजना के कार्यान्वियन का पूर्ण दायित्व जिला पदाधिकारी को होगा ।

(ii) जिलों के जिला पदाधिकारी योजना का निरीक्षण/समीक्षा करेंगे एवं आवश्यक निदेश भी निर्गत कर सकेंगे।

(iii) सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिले में योजना का कार्यान्वियन करेंगे।

13. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक माह के 15वी तारीख तक पूर्व माह का प्रखंडवार प्रगति प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार को भेजेंगे।

14. योजना का प्रशासी विभाग समाज कल्याण विभाग आवश्यकतानुसार समय–समय पर नियमावली/अनुदेश निर्गत कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 1/पी.1-119/2006 स.क. - 1423 पटना, दिनांक :- 19.12.07

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 5,000 प्रतियाँ समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 1/पी.1-119/2006 स.क. - 1423 • पटना, दिनांक :- 19.12.07

प्रतिलिपि :- निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार पटना/ उप सचिव, समाज कल्याण विभाग/ माननीय उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सरकार पक्ष, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 1/पी.1-119/2006 स.क. - 1423 पटना, दिनांक :- 19.12.07

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव

Kabir Rula/7-10

प्रपत्र – 1

अनुदान दावा प्रपत्र

(दो प्रतियों में पंचायत कार्यालय में मुखिया को अनुदान हेतु भेजें)

प्रेषक,

....

....

....

महाशय,

श्रीमती/श्री .... जो कि श्री .... के पुत्र/पुत्री/पत्नी है जिनका वर्त्तमान पता–ग्राम .... थाना .... है उनकी मृत्यु हो गयी है ।

मृत्यु की तिथि .... है एवं स्थान ....

यह आपके सेवा में सूचनार्थ अग्रसारित है।

आपका विश्वासभाजन

दावाकर्त्ता का नाम .... पिता का नाम ....

ग्राम .... पंचायत .... जिला ....

मृत व्यक्ति से आवेदक का संबंध ....

दावा स्वीकृत/अस्वीकृत

मुखिया /पंचायत सेवक

प्रपत्र–2

(पंचायत/प्रखण्ड कार्यालयों में आवेदकों की सूची संधारण हेतु प्रपत्र)

मृतक का नाम	पति/पिता का नाम	ग्राम/टोला का नाम	मृत्यु की तिथि	मृत्यु का कारण	दावा कर्त्ता का नाम	दावा कर्त्ता के पति/पिता का नाम	मृतक के साथ संबंध	अनुदान स्वीकृति का समय एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र–3

(जिला स्तर पर सूची संधारण हेतु प्रपत्र)

प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	मृतक का नाम	पति/पिता का नाम	ग्राम/टोला का नाम	मृत्यु की तिथि	मृत्यु का कारण	दावा कर्त्ता का नाम	दावा कर्त्ता के पति/पिता का नाम	मृतक के साथ संबंध	अनुदान स्वीकृति का समय एवं तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11